न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू :– 20.08.2018

मुकदमा नं0 :– 21/2018

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

नकुल पुत्र पदम जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ———————————————— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ———————————————— अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट</u>

<u>बाबत् किये जाने संशोधन</u>

उपस्थित :– 1. श्री मोहन अवस्थी एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय

दिंनाक :– 31-03-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत् किये जाने संशोधन विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थी नकुल पुत्र पदम जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है, जिसका हाल खाता संख्या 211 व पुराना खाता सं0 93 के अनुसार जमाबन्दी सं.2070–73 में आराजीयात खसरा नम्बर 889 रकबा 0.29 है0, 890 रकबा 0.64 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम सहवन से नकुल पुत्र पदम के स्थान पर गोकल पुत्र पदम दर्ज हो गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थी की पुरानी जमाबन्दी सेटिलमेन्ट से पहले की [illegible] नाम नकुल पुत्र पदम सही दर्ज है। जिसमें पुराने खसरा नम्बर 653 [illegible] बीघा 14 बिस्वा है। उसके बाद हाल खतौनी जमाबन्दी पर्चा सं0 2046–50 [illegible] भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटिलमेन्ट में एकीकरण करने के दौरान प्रार्थी का नाम नकुल पुत्र पदम के [illegible] पर गोकल पुत्र पदम दर्ज हो गया जो भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटिलमेन्ट के दौरान दर्ज हुआ, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

गलत दर्ज हुआ और वर्तमान जमाबन्दी में नकुल पुत्र पदम के स्थान पर गोकल पुत्र पदम चला आ रहा है, जो गलत इन्द्राज होकर चला आ रहा है, जबकि उनको गलत नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थी अपनी जमीन पर ऋण लेने के लिए के0सी0सी0 की पत्रावली बनवाने के लिए हाल जमाबन्दी लेकर आया, तब प्रार्थी को पता चला कि उसका नाम हाल जमाबन्दी खातेदारी में खातेदार का नाम नकुल के स्थान पर गोकल दर्ज हो रहा है, जो गलत है व प्रार्थी तहसीलदार हिण्डौन के पास अपने नाम को दुरूस्त करवाने के लिए गया तो तहसीलदार हिण्डौन ने सक्षम अदालत से आदेश लाने को कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थी का सही नाम नकुल है, जो आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में स्पष्ट रूप से अंकित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी. एक्ट स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में गोकल के स्थान पर नकुल पुत्र पदम दर्ज कर संशोधन कर दिया जावे। जिससे प्रार्थी की खातेदारी में सही नाम दर्ज हो सके।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डौन ने दिनांक 15.03.2021 को उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि मद नं01 इस हद तक स्वीकार है कि वाके ग्राम महूखास मुताविक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 889, 890 किता 2 कुल रकबा 0.93 है0 स्थित है। अन्य तथ्य स्वीकार नहीं है। मद नं02 इस हद तक स्वीकार है कि भू–प्रबन्ध पूर्व जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम नुकल पुत्र पदम अंकित है। भू–प्रबन्ध खतौनी से साबिक खसरा नम्बर 653 मिन रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 889, 890 पर गोकुल पुत्र पदम अंकित है। प्रार्थी का नाम शुद्धि किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेज [illegible] में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73, नकल खतौनी [illegible] 66 नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी सेटिलमेन्ट से पूर्व सम्बत् [illegible]ठित, फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 271969279986 नकुल पुत्र पदम निवासी महूखास, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

बारकोड सं0 007645800173 नकुलसिंह पुत्र पदम निवासी महूखास के नाम से जारी किया हुआ पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वंय उपस्थित। वकील प्रार्थी एवं स्वंय अप्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 889 रकबा 0.29 है0, 890 रकबा 0.64 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी रमेश पुत्र निरंजन हि0 2/12, विक्रम पुष्पेन्द्र पि0 भूरसिंह हि01/12, विक्रम पुष्पेन्द्र पि0 भूरसिंह सविता मनिता नावा0 पुत्रियॉ भूरसिंह संरक्षक माता माया बेबा भूरसिंह, माया बेबा भूरसिंह हिस्सा बराबर हि0 1/12, गोकल पुत्र पदम हिस्सा 2/3जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल खतौनी भू–प्रबन्ध सं0 2046–66 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 889 रकबा 0.29 है0, 890 रकबा 0.64 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी निरंजन पुत्र जुगल हि0 1/3, गोकल पुत्र पदम हिस्सा 2/3जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 753 मिन रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा ग्राम महूखास के दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 889 रकबा 0.29 है0, 890 रकबा 0.64 है0 कायम किये गये हैं।

नकल जमाबन्दी सेटिलमेन्ट से पूर्व सम्बत् अपठित के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 753 रकबा 3 बीघा [illegible] महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी निरंजन पुत्र जुगल हि0 1/3, [illegible] पुत्र पदम हिस्सा 2/3जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम [illegible] रिकार्ड है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:47 IST
Reason: SelfAttested

फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 271969279986 नकुल पुत्र पदम निवासी महूखास के नाम से जारी किया हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड बारकोड सं0 007645800173 नकुलसिंह पुत्र पदम निवासी महूखास के नाम से जारी किया हुआ हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सेटिलमेन्ट से पूर्व नुकल पुत्र पदम हि0 2/3 दर्ज रिकार्ड था तथा दौराने सेटिलमेन्ट कायम किये गये नवीन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नकुल पुत्र पदम हिस्सा 2/3 के स्थान पर गोकल पुत्र पदम हि02/3 सहवन से दर्ज हो गया है। जिसकी प्रार्थी लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1955 की धारा 136 के तहत दुरूस्ती कराने का अधिकारी साबित है तथा अप्रार्थी तहसीलदार ने भी अपने जबाव प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का नाम संशोधन किये जाने पर सहमति जताई है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 889 रकबा 0.29 है0, 890 रकबा 0.64 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में प्रार्थी का नाम गोकल पुत्र पदम हिस्सा 2/3 के स्थान पर नकुल पुत्र पदम हिस्सा 2/3 राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 31-03-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31-03-2021

सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner